



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, सौ. सीता कुमारी पिता/पति विकास कुमार

उम्र 28 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत सुत 0 के वार्ड संख्या 17

मोहल्ला बालुघाट पोस्ट प्रधाना थाना नगर जिला मुजफ्फरपुर
शिवमस्जान

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 17 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रही/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 17 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - [Signature]

नाम- PRIYAJEET KUMAR SINGH
S/O RAM BABU SINGH
पता- BALUGHAT, WARD-17
P.O - H.P.O
P.S - TOWN
DIST - MUZAFFARPUR

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर [Signature]

नाम- PRIYADEEP KUMAR
S/O RAM BABU SINGH
पता- BALUGHAT, WARD-17
P.O - H.P.O, P.S-TOWN
DIST - MUZAFFARPUR

स्थान : मुजफ्फरपुर
दिनांक : 19/9/22

[Signature]
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

[Signature] 19/9/22
I, the undersigned Declared Solemly
Affirmed Sworn Before Me
Anjali Kumari
Notary
Circuit and Muzaffarpur लगातार

[Signature]
Adv
19-09-2022

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोदरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के सामने शपथ ली जाएगी।
19 SEP 2022

रिपब्लिक आम निरवाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 17 से *पापंद/*उप मुख्य पापंद/*मुख्य पापंद पद का निरवाचन।

अभ्यर्थी का नाम- सीगीता कुमारी

पति/पति का नाम- विष्णु कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शु.न

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शु.न

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शु.न

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शु.न

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शु.न
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शु.न

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शु.न

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शु.न

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शु.न

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शु.न

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शु.न

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शु.न

(iv) यदि निष्पादित है, तो शु.न

(क) निष्पादन की तिथि- शु.न

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शु.न

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शु.न

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शु.न

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शु.न

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शु.न

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शु.न

क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर जैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शू.भ

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शू.भ
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शू.भ
- (iii) अपराध संख्या- शू.भ
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शू.भ
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शू.भ

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कौडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शू.भ

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शू.भ
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शू.भ
- (iii) अपराध संख्या- शू.भ
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शू.भ
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शू.भ

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शू.भ

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:- शू.भ

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शू.भ

(ii) शहरी भूमि- ① 1 कट्ठा 10 कुर, लगानका 14 लाख रूपया
② 15 कुर, लगानका 24 लाख रूपया

(iii) भवन- ① डेट का पक्का का मकान को मंजिल,
लगानका 30 लाख रूपया

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद - 1,50,000/-
एक लाख पचास हजार रुपये मात्र

(ii)

① SBI अरकाशबाद रोड
बैंक बैलेन्स A/c No - 39094499851
बैलेन्स - 10,519/-
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन इस्टर कार - स्क -
नो. BROYLY-6433
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)
600000/लगभग

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें)
सोना 200 ग्राम - लगभग 11 लाख
चांदी 500 ग्राम - लगभग 40 हजार

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ शून्य
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें- 1. पैजाठ स्कूल रजुकेशन कोड, पैजाठ, मुक गौबिन्द सिंह
पब्लिक स्कूल, गरीबडा वर्ष - 2010
2. पैजाठ स्कूल रजुकेशन कोड, पैजाठ, राजकीय केम्पा
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गरीबडा, वर्ष - 2012
3. स्नातक, पैजाठ विश्वविद्यालय, पुरीमाला, वर्ष - 2015
4. एम.एस.ए. प्रबंधन में स्नातकोत्तर, पैजाठ विश्वविद्यालय,
पुरीमाला वर्ष - 2018
में घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर
तिथि- 23/9/22

Sangeeta Kumari
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैलथ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।
नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने
की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।